

**बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग**

॥ अधिसूचना ॥

सख्या-स0का0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-...../ पटना, दि०.....

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। - (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) यह दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/- (चालीस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "45,000/- (पैंतालीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/- (पचास हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,00,000/- (दस लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6,000/- (छः हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,000/- (दस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "20,000/- (बीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,00,000/- (दो लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,00,000/- (तीन लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "22,250=00/- (बाईस हजार दो सौ पचास) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "28,000/- (अठ्ठाईस हजार) रुपये" तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6000=00/- (छः हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "7,000/- (सात हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये" तथा पाँचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,000/- (दो हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,000/- (तीन हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,00,000/- (एक लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजेश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक-स0का0-1/बि0म0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-~~723~~/पटना, 26.11.18

प्रतिलिपि-महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/सुश्री सुजाता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।